wholesale level in terms of the wholesale Price Index (WPI) and at the retail level by 3 consumer price indices (CFI) for (i) Industrial Workers (ii) Urban non-manual employees (iii) Agricultural Labourers. The Wholesale Price Index is based on 2371 questions (519 for primary articles 73 for fuels and 1775 for manufactured products). The price quotations represent bulk transanctions usually for further sale at the primary stage which broadly corresponds to the producers price. The index is calculated on weekly basis and the present series is based on 1980-92 = 100. (b) and (c) Yes, Sir, In order to know the trend in price at retail level, the retail prices of 3l essential commodities alongwith their composite index is also prepared regularly by the Labour Bureau, Shimla and the present series is based on the 1982=100.

उपभोक्ता को उत्पाद शुल्क रियायत का लाभ

2296. **श्री दिग्विजय सिंह :**

श्री सत्य प्रकाश मालवीय :

क्या नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बाजार में सभी कच्ची सामग्री उपलब्ध होने के बावजूद सभी प्रकार के साबुन महंगे हो गये हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि निर्यातकों ने उत्पाद शुल्क रियायत का लाभ उपभोक्ता को नहीं दिया है;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और क्या सरकार उत्पाद शुल्क रियायत का लाभ आम उपभोक्ता को दिलाना चाहती है, और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाये हैं और उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सरकार के अब तक क्या कार्रवाही की है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री और वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमरुद्दीन अहमद) : (क) यह मंत्रालय साबुन के मूल्यों को मॉनिटर नहीं करता है, क्योंकि यह आवश्यक वस्तुओं की सूची में नहीं है। चूंकि साबुन बनाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली कच्ची सामग्री भी नियंत्रित वस्तुओं में नहीं आती है, अतः साबुन के मूल्य भी बाजार ताकतों से प्रभावित होते हैं

(ख) निर्यात किए जाने वाले उत्पादों पर उत्पाद-शुल्क नहीं लगता है।

(ग) 1993-94 के बजट में घोषित उत्पाद

माप तोल के नकली बाटों का प्रयोग

2297. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय :**

श्री दिग्विजय सिंह :

क्या नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नकली बाटों का प्रयोग खुले आम हो रहा है और इस तरह उपभोक्ताओं का बड़े पैमाने पर शोषण किया जा रहा है;

(ख) क्या सरकार ने उपभोक्ताओं को ऐसे शोषण से बचाने के लिए कोई कानून बनाया है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और सरकार ने नकली बाटों का प्रयोग करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाही की है और उसका क्या परिणाम निकला है ?